FORM III

फर्द अहकाम

(नियम -- 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

देवकरण बनाम तहसीलदार नीमकाथाना

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती मु0नं0 50 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/100

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
..025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.04.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	5/6/25 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपास्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/7/25 को पेश हों।	
	11/7/25 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 11/8/25 को पेश हों।	
	29/7/25 वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम "देवा पुत्र धडिया" दर्ज हैं जबकि वादी का नाम "देवा पुत्र धडिया" की जगह "देवकरण पुत्र प्रहलाद" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– ड्राईविंग लाईसेंस, प्रशासक ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का	Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.08.19 17:03:06 IST Reason: SelfAttested

वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में

स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम नाथा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 716 ता 720, 731, 940/1 कुल किता 7 कुल रकबा 5.5579 है0 तथा तन ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 57 रकबा 0.15 है0 व ख.नं. 455/58 रकबा 0.87 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम ''देवा पुत्र धडिया'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''देवकरण पुत्र प्रहलाद'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. देवकरण पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 50 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम नाथा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील** नीमकाथाना **जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 716 ता 720, 731, 940/1 कुल किता 7 कुल रकबा 5.5579 है0** तथा तन ग्राम **कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील** नीमकाथाना **जिला सीकर अवस्थित** वादग्रस्त आराजी **ख. नं. 57 रकबा 0.15 है0 व ख.नं. 455/58 रकबा 0.87 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "देवा पुत्र धडिया" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "देवकरण पुत्र प्रहलाद" दुरूस्त किया** जाता हैं। **उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested